

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)  
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -168

नई दिल्ली 17 अगस्त, 2011

शुद्धि-पत्र

(जुलाई, 2011 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने केपीटी की कांडला भूमि की दर संरचना के कांडला पत्तन न्यास से संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर 25 मार्च, 2011 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश को भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खण्ड- 4 में अधिसूचना संख्या 106 के माध्यम से 11 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि 11 मई, 2011 को अधिसूचित आदेश के संलग्नक के रूप में संलग्न अनुसूची में मुद्रण भूल हुई हैं जिसे निम्नलिखित रूप से भूल-सूधार किया जाता है:

केपीटी की किराया अनुसूची का संदर्भ।	जैसा कि अधिसूचना में प्रकाशित हुआ है :-	इस प्रकार से पढ़ा जाए :-
कॉलम संख्या 3 का शीर्षक	पट्टा किराया ₹ 1993 प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष, जुलाई माह को।	पट्टा किराया ₹1999 प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ष, जुलाई माह को।

(रानी जाधव)  
अध्यक्ष